न्यायालय नायब तहसीलदार, तलावड़ा

मु.नं. 8 तारीख रजू. 14-1-19 तारीख निर्णय 28-1-19

आज पत्रावली व मुकाम तलावड़ा पेश हुई गैर सायल उपस्थित है/नहीं है

रिपोर्ट पटवारी ग्राम गोगोप प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल

श्री मुरलीधर पुत्र श्री रामोतार जाति माली

निवासी गोगोप द्वारा आराजी खसरा नं. 843 रकवा 0.20

किस्म जमीन चारागाह मौजा गोगोप पर सम्वत् 20.75

में अतिक्रमण का काश्त कब्जा कर लिया है। गैर सायल को नियमानुसार धारा **91** भू-राजस्व अधिनियम सन् **1956** संशोधित दिनांक **2/10/1975** के तहत नोटिस जारी बाद तामील शामिल किया गया। अतिक्रमी बाबजूद तामील के भी हाजिर नहीं हैं। उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है । अतिक्रमी हाजिर है उसने कोई जबाब व सबूत पेश नहीं किया है अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा काश्त किया है उसको अतिक्रमी करार दिया जाता है।

अत: गैर सायल श्री मुरलीधर की आरजी खसरा न० 843

रकवा 0.20 मौजा गोगोप से बेदखल किया जाता है लगान

दर 8.60 से उक्त रकवा के लगान 1.72 का 50

गुना से शास्ति 86 कायम की जाती है। बेदखली हेतु पटवारी को

लिखा जावे तथा आई.एल.आर. को आदेश जारी हो कि उक्त रकवे की खड़ी फसल को जब्त करे नीलामी कार्यवाही करें एवं फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृति पेश करें तथा राजस्व लेखाकार व पटवारी को जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर ही निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

रजिस्टर 'क' के पृष्ठ सं. 57
जुर्माना राशि 86
दि. 21-2-19 को कायम किया
तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
तहसील तलावड़ा